

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224606
SG-DL-E-21012021-224606

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 282
No. 22]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942	[N. C. T. D. No. 282

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

सं.फा. 47/पॉलिसी/आरसीएस/2012/243/25-34.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम-3) की धारा 114 की उपधारा (1) तथा (2) तथा दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 और दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जी. एस. मीणा, सेवानिवृत्त, आई ए एस (एजीएमयूटी: 2001) को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावी, जब से वह पद ग्रहण करते हैं, नियुक्त किया जाता है। श्री जी. एस. मीणा, को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें, जैसा की दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित अनुसार होगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रंजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव (सहकारिता)

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th January, 2021

F. No. 47/Policy/RCS/2012/243/25-34.—In exercise of powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 114 of The Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act No. 03 of 2004), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. G.S. Meena (IAS, Retired) as Member of Delhi Co-operative Tribunal for a period of 03 years with effect from the date he enters upon office of Member, Delhi Co-operative Tribunal. Other terms and conditions of appointment of Sh. G.S. Meena as Member, Delhi Cooperative Tribunal service shall be as prescribed in the Delhi Co-operative Tribunal Rules, 2006 (as amended from time to time).

By Order and in the Name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

RANJEET SINGH, Addl. Secy. (COOPERATION)